प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2023
प्र.ई.रि.सं. 231/23 दिनांक 24/8/2023

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0अधि01988(यथा संशोधित 2018) धारायें .....7.....
(2) अधिनियम :– भारतीय दंड संहिता धारायें .....120बी .....
(3) अधिनियम..... धारायें.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 482 समय 5:00 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन–.....17.05.2023 समय 09.00 पी.एम. से 09.23 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 17.05.2023 समय 4.00 पी0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब उत्तर पश्चिम दिशा, दुरी 44 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता – ग्राम डांगरथल
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).– नाम :– श्री बृजमोहन बैरवा पुत्र श्री किशन लाल बैरवा उम्र 30 साल निवासी डांगरथल तहसील निवाई पुलिस थाना निवाई जिला टोक
(ब).– राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).– पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.
(द).– व्यवसाय :– खेती–बाड़ी ।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1. श्री हेमराज मीना पुत्र श्री तुलसाराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम व पोस्ट सारसोप तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल कानिस्टेबल नम्बर 254 पुलिस थाना निवाई जिला टोक।
2. श्री बजरंग लाल बैरवा पुत्र श्री गोपाल बैरवा जाति बैरवा निवासी रेगरान का मौहल्ला वार्ड न. 10 ग्राम व पोस्ट डांगरथल तहसील निवाई जिला टोक हाल सरपंच ग्राम पंचायत डांगरथल पंचायत समिति निवाई जिला टोक

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 5000/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 5000/–रूपयें

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवागें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं बृजमोहन बैरवा पुत्र श्री किशन लाल बैरवा उम्र 30 साल निवासी डांगरथल तहसील निवाई पुलिस थाना निवाई जिला टोक का रहने वाला हुँ। मेरा पुश्तैनी मकान ग्राम डांगरथल में है जहॉ पर मैं मय परिवार के रहता हुँ। मेरे मकान पर चददर पडे हुये थे तो चद्दर

हटवाकर मेरे मकान पर छत डलवाई थी। जिस पर मेरे पडौसी छोटूलाल पुत्र मूलचन्द बैरवा, देवनारायण पुत्र कान्हा बैरवा, नवरतन पुत्र चंदा लाल बैरवा ने व जगदीश पुत्र चंदा बैरवा ने मेरे मकान पर छत पर निकाले गये छज्जे को लेकर कहासुनी की तथा इन चारो ने मिलकर मेरे व मेरे पिताजी के खिलाफ थाना निवाई में रिपोर्ट करा दी। आज से करीब 6 दिन पहले मेरे घर पर श्री हेमराज जी मीना बीट अधिकारी कानिस्टेबल साहब आये और मुझसे कहॉ कि तेरे खिलाफ रिपोर्ट हुयी है तु अपने गवाह लेकर आ जाना तो मैं अपने गवाह श्री मेघराज मीना व छीतरलाल S/O मांगीलाल बैरवा को लेकर थाना निवाई पर गया था तथा वहॉ पर हेमराज जी मीना से मिला उन्होने दोनो गवाह के बयान लेकर उनको भेज दिया था मुझसे कहॉ कि तु तेरे गॉव के सरंपच को लेकर कल आना। इस पर मैं दुसरे दिन श्री बजरंग लाल बैरवा सरपंच साहब को लेकर थाना निवाई गया तो हेमराज जी मीना व सरंपच साहब ने आपस में बातचीत कर मुझसे कहॉ कि तेरी रिपोर्ट में कोई कार्यवाही नही होगी लेकिन तुझे 7000 रूपये देने होगे। इस पर मैने कहॉ कि मेरे कोई गलती नही है उन लोगो ने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट करवाई है तो कहने लगे कि अब रिपोर्ट हो गयी है तो उसमें कार्यवाही होती है। हेमराज जी मीना ने कहॉ कि तु तुरन्त अगर 7000 रूपये देगा तो तेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नही होगी। मैने कहॉ कि मेरे पास अभी 7000 रूपये नही है तो सरपंच साहब ने कहॉ कि तु इनको फिर आकर दे देना या मुझे गॉव में दे देना मैं इनको थाने आकर दे दूंगा तथा मैने कहॉ कि मेरे पास अभी तो 2000 रूपये है। इस पर हेमराज जी मीना कहने लगे कि 2000 रूपये तो अभी देदे बाकी के 5000 रूपये सरपंच साहब को गॉव में दे देना। मैं सरपंच साहब से ले लूंगा। कल मुझे सरंपच साहब मिले तो उन्होन कहॉ कि तु बाकी के रूपये कब देगा तो मैने कहॉ कि अभी मेरे पास रूपये नही है और मेरी कोई गलती भी नही है। इस पर सरपंच साहब नाराज हो गये तथा कहने लगे कि तु जल्दी से रूपये दे दे नही तो हेमराज जी से कहकर तेरे खिलाफ कार्यवाही करवा दूंगा। मेरे व मेरे पिताजी के विरूद्व मेरे पडौसीयो द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। श्री हेमराज जी मीना बीट अधिकारी कानिस्टेबल साहब व श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब आपस में मिलीभगत कर मुझ पर 5000 रूपये रिश्वत के देना का दबाव बना रहे है। श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब थाने में दलाली करते है। मैं हेमराज जी मीना व श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब को रिश्वत नही देना चाहता हुॅ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। मेरी श्री हेमराज जी मीना बीट अधिकारी कानिस्टेबल साहब व श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी

बृजमोहन बैरवा पुत्र श्री किशन लाल बैरवा
उम्र 30 साल निवासी डांगरथल तहसील
निवाई पुलिस थाना निवाई जिला टोक(राज.)
M. 9929120593

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 17.05.2023 समय 4.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री बृजमोहन बैरवा पुत्र श्री किशन लाल बैरवा उम्र 30 साल निवासी डांगरथल तहसील निवाई पुलिस थाना निवाई जिला टोक उपस्थित कार्यालय आया तथा श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं बृजमोहन बैरवा पुत्र श्री किशन लाल बैरवा उम्र 30 साल निवासी डांगरथल तहसील निवाई पुलिस थाना निवाई जिला टोक का रहने वाला हुॅ। मेरा पुश्तैनी मकान ग्राम डांगरथल में है जहॉ पर मैं मय परिवार के रहता हुॅ। मेरे मकान पर चददर पडे हुये थे तो चद्दर हटवाकर मेरे मकान पर छत डलवाई थी। जिस पर मेरे पडौसी छोटूलाल पुत्र मूलचन्द बैरवा, देवनारायण पुत्र कान्हा बैरवा, नवरतन पुत्र चंदा लाल बैरवा ने व जगदीश पुत्र चंदा बैरवा ने मेरे मकान पर छत पर निकाले गये छज्जे को लेकर कहासुनी की तथा इन चारो ने मिलकर मेरे व मेरे पिताजी के खिलाफ थाना निवाई में रिपोर्ट करा दी। आज से करीब 6 दिन पहले मेरे घर पर श्री हेमराज जी मीना बीट अधिकारी कानिस्टेबल साहब आये और मुझसे कहॉ कि तेरे खिलाफ रिपोर्ट हुयी है तु अपने गवाह लेकर आ जाना तो मैं अपने गवाह श्री मेघराज मीना व छीतरलाल S/O मांगीलाल बैरवा को लेकर थाना निवाई पर गया था तथा वहॉ पर हेमराज जी मीना से मिला उन्होने दोनो गवाह के बयान लेकर उनको भेज दिया था मुझसे कहॉ कि तु तेरे गॉव के सरंपच को लेकर कल आना। इस पर मैं दुसरे दिन श्री बजरंग लाल बैरवा सरपंच साहब को लेकर थाना निवाई गया तो हेमराज जी मीना व सरंपच साहब ने

आपस में बातचीत कर मुझसे कहॉ कि तेरी रिपोर्ट में कोई कार्यवाही नही होगी लेकिन तुझे 7000 रूपये देने होगे। इस पर मैने कहॉ कि मेरे कोई गलती नही है उन लोगो ने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट करवाई है तो कहने लगे कि अब रिपोर्ट हो गयी है तो उसमें कार्यवाही होती है। हेमराज जी मीना ने कहॉ कि तु तुरन्त अगर 7000 रूपये देगा तो तेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नही होगी। मैने कहॉ कि मेरे पास अभी 7000 रूपये नही है तो सरपंच साहब ने कहॉ कि तु इनको फिर आकर दे देना या मुझे गॉव में दे देना मैं इनको थाने आकर दे दूंगा तथा मैने कहॉ कि मेरे पास अभी तो 2000 रूपये है। इस पर हेमराज जी मीना कहने लगे कि 2000 रूपये तो अभी देदे बाकी के 5000 रूपये सरपंच साहब को गॉव में दे देना। मैं सरपंच साहब से ले लूंगा। कल मुझे सरंपच साहब मिले तो उन्होन कहॉ कि तु बाकी के रूपये कब देगा तो मैने कहॉ कि अभी मेरे पास रूपये नही है और मेरी कोई गलती भी नही है। इस पर सरपंच साहब नाराज हो गये तथा कहने लगे कि तु जल्दी से रूपये दे दे नही तो हेमराज जी से कहकर तेरे खिलाफ कार्यवाही करवा दूंगा। मेरे व मेरे पिताजी के विरूद्व मेरे पडौसीयो द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। श्री हेमराज जी मीना बीट अधिकारी कानिस्टेबल साहब व श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब आपस में मिलीभगत कर मुझ पर 5000 रूपये रिश्वत के देना का दबाव बना रहे है। श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब थाने में दलाली करते है। मैं हेमराज जी मीना व श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब को रिश्वत नही देना चाहता हुॅ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। मेरी श्री हेमराज जी मीना बीट अधिकारी कानिस्टेबल साहब व श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। प्रार्थना पत्र परिवादी बृजमोहन बैरवा को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी ने मजिद दरियाप्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा हस्तलिखित होकर द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रक्रियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 4.25 पी0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "मैं आज ही हेमराज जी मीना बीट अधिकारी कानिस्टेबल साहब थाना निवाई से मिलकर मेरी विरूद्व की गई रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में बात करूंगा तथा साथ ही उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की वार्ता भी कर लूगां। अतः कानि0 जलसिंह को तलबकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया, मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक समझाईस कर परिवादी एवं जलसिंह को समय 4.30 पीएम पर निवाई रवाना किया गया। समय 11 पी0एम0 पर श्री जलसिंह कानि0 248 उपस्थित कार्यालय आया तथा श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये बताया कि "मैं व परिवादी बृजमोहन बैरवा एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर निवाई पहुंचे, जहां पर परिवादी के पास आरोपी हेमराज मीना कानिस्टेबल का फोन आया और कहॉ कि आज मुझे तेरे गॉव की तरफ काम है तो तु गॉव में ही मिलना। इस पर मैं व परिवादी दोनो ग्राम डांगरथल चले गये तथा मैं अपनी उपस्थित छुपाते हुये ग्राम डांगरथल में मुकीम रहा। रात्रि के समय करीब 8.51 पी.एम. पर परिवादी ने आरोपी को फोन किया तो आरोपी ने कहॉ कि मैं हेमराज जी के ढाबे के पीछे बैठा हुआ तु यहॉ पर आ जा। फिर मैंने वॉयस रिकार्डर चालुकर परिवादी को दे दिया तथा मैं वहीं पास में ही अपनी उपस्थित छुपाते हुये खड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद परिवादी मेरे पास आया तथा मुझे वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसको मैनें बन्द कर अपने पास रख लिया, परिवादी ने बताया कि आपके पास से रवाना होकर हेमराज जी मीना के ढाबे के पास पहुॅचा जहॉ पर हेमराज जी मीना कानिस्टेबल साहब मौजूद मिले। जिनसे मेरे विरूद्व दर्ज रिपोर्ट पर के बारे में बात की तो हेमराज जी ने कहॉ कि कोई परेशानी नही है तेरी रिपोर्ट बंद कर दी है तथा 5000 रूपये रिश्वत के श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब को देने हेतु कहॉ है। उक्त वार्ता वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है। परिवादी ने बताया कि श्री हेमराज मीना कानिस्टेबल साहब थाना निवाई के कहे अनुसार श्री बजरंग लाल जी बैरवा सरंपच साहब 5000 रूपये रिश्वति राशि देनी है। इसके बाद मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि लेकर सुबह एसीबी कार्यालय टोंक पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर उपस्थित आया हुं।" मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो मांग सत्यापन होना पाया गया। **दिनांक 18.05.2023 समय 12.30 पी0एम0** पर परिवादी श्री बृजमोहन बैरवा उपस्थित आया तथा बताया कि "दिनांक 17.05.2023 को मैं व जलसिह जी एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर निवाई पहुॅचे। जहां पर मेरे पास हेमराज मीना कानिस्टेबल साहब का फोन आया और कहॉ कि आज मुझे तेरे गॉव की तरफ काम है तो तु गॉव में ही गिलना। इस पर मैं व जलसिंह जी दोनो मेरे गॉव ग्राम डांगरथल चले गये तथा रात्रि करीब 8.51 पी. एम. पर मैने हेमराज जी मीना कानिस्टेबल साहब को फोन किया तो कहॉ कि हेमराज जी के ढाबे के

पीछे बैठा हुँ तु यहॉ पर आ जा। इस पर जलसिंह जी ने वॉयस रिकार्डर चालुकर मुझे दे दिया था। मैं वायस रिकार्डर लेकर हेमराज जी मीना कानिस्टेबल साहब के पास चला गया था तथा जलसिंह जी वही पर रूक गये थे। मैने हेमराज जी कानिस्टेबल साहब से अपने विरूद्व दर्ज रिपोर्ट के बारे में बातचीत की तो उन्होने कहॉ कि कोई दिक्कत नही है कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना और कहॉ कि तेरी रिपोर्ट को बंद कर दिया है। फिर कहॉ कि शेष 5000 रूपये श्री बजरंग लाल जी सरपंच साहब को दे देना। फिर मैं वहॉ से रवाना होकर जलसिंह जी के पास आया तथा उन्हें वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये उक्त बात बताई। श्री जलसिंह जी ने वायस रिकार्डर बंद करके अपने पास रख लिया तथा मुझे आज दिनांक 18.05.2023 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5 हजार रूपये लेकर एसीबी कार्यालय टोंक आने के लिए कहा तथा जलसिंह जी वहां से रवाना हो गये थे। निर्देशानुसार मैं अभी रिश्वत राशि लेकर उपस्थित आया हुँ। समय 1 पी.एम0 पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री जलसिंह कानि. 248 को रवाना किया गया। नोट दर्ज है। समय 1.25 पी0एम0 पर जलसिंह कानि. 248 मय स्वतंत्र गवाह 1– श्री सावरमल पुत्र रामराय गुर्जर उम्र 29 साल निवासी डारडातुर्की थाना बरोनी जिला टोक हाल नर्सिग ऑफिसर सहादत अस्पताल टोक मोबाईल नम्बर 8769159729 2– श्री कालूलाल पुत्र श्री केल्या गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 35 साल निवासी खुरेडी थाना पीपलु जिला टोक हाल नर्सिग ऑफिसर सहादत अस्पताल टोक मोबाईल नम्बर 9784631801 उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2023 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादी व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 02.00 पी0एम0 पर सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.05.2023 से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई, रिकार्ड वार्ता को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु व 2 सीडी (एक आरोपी व एक अनुसंधान अधिकारी हेतु) मे राईट किया गया। एक पेन ड्राईव व एक सीडी को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क ए–1, ए–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 03.30 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड KDM –16जीबी को सुरक्षित हालात मे एक सफेद कपडे की थेली मे सिल्ड कर मार्क एम अकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त सिल्डशुदा आर्टिकल्स ए–1,ए–2 व मार्क एम को मालखाना प्रभारी श्री मौ0जुनैद हेड कानि0 32 से जमा मालखाना करवाया गया। समय 03.50 पी0एम0 पर परिवादी बृजमोहन बैरवा को आरोपीगणो को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा पेश उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री महेश कुमार कानि0 17 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 5,000/–रूपये को परिवादी के शरीर पर पहने हुये पेन्ट की दाहिनी जेब में कोई शेष नहीं छोडते हुए महेश कुमार कानि से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी बृजमोहन बैरवा को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने सिर पर साफी बांधने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी ने बताया कि मेरे अपने स्तर पर जानकारी की है अभी श्री बजरंग लाल जी सरपंच साहब व श्री हेमराज जी कानिस्टेबल साहब दोनो ग्राम डांगरथल में ही है। समय 04.15 पी.एम0 पर परिवादी को स्वयं की मोटर साईकिल से मय जलसिंह कानि. 248 के रवाना कर श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय श्री जुनैद हैड कानि. 32, श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. 74, श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56 एवं स्वतंत्र गवाह श्री सांवरमल गुर्जर व श्री कालुलाल गुर्जर तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप के प्राईवेट वाहन से ग्राम डांगरथल के लिए रवाना हुआ। श्री महेश कुमार कानि. 17, को उचित हिदायत कर कार्यालय छोडा गया। समय 05.15 पी0एम0 पर श्री नरेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक एवं हमराहियान के डांगरथल गाव से पहले पहुंचे, जहा पर रोड के साईड मे वाहन को खडा करवाकर परिवादी को

आरोपी श्री बजंरगलाल सरंपच की लोकेशन की जानकारी लेने हेतु कहा गया। समय 05.25 पी0एम0 पर परिवादी बृजमोहन बैरवा ने श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि संरपच साहब स्वय की लडकी की शादी के कार्य से गाव से बाहर गया है जिनका पता नही कब तक वापस आयेगे। मुझे जानकारी होते ही आपको बता दूगा। तत्पच्यात श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री सावर मल से परिवादी की जैब मे रखी रिश्वती राशि को निकलवाकर एक सफेंद कागज मे लिपटवाकर गवाह के पास सुरक्षित रखवा कर मौके पर परिवादी को उचित हिदायत देकर रूखस्त कर श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरिक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय गवाहान मय ट्रेप बाक्स, लेपटोप, रिकार्डर के प्राईवेट वाहन से रवाना एसीबी कार्यालय टोक हुआ। समय 06.30 पी0एम0 पर श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के एसीबी चौकी पहुंचा, पूर्व मे गवाह श्री सांवर मल के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशी को कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखवाई गईं। तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को उचित हिदायात देकर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया गया। दिनांक **19.05.2023 समय 7 ए.एम.** पर पांबदशुदा परिवादी श्री बृजमोहन बैरवा उपस्थित ए.सी.बी. चौकी टोक आया व बताया कि अभी श्री बजरंगल लाल जी सरपंच साहब गॉव में ही है। मैं उनको अभी रिश्वत राशि दे दूंगा। समय 7.10 ए.एम. पर पांबदशुदा गवाह श्री सांवरमल गुर्जर व श्री कालुलाल गुर्जर उपस्थित ए.सी.बी. चौकी टोक आये तथा जर्ये दूरभाष पांबदशुदा प्राईवेट वाहन चालक मय वाहन के कार्यालय पर उपस्थित आया। समय 7.20 ए.एम. पर परिवादी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री सावंरमल गुर्जर से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुये श्री महेश कुमार कानि. 17 से कार्यालय आलमारी से रिश्वती राशि को निकलवाकर रिश्वती राशि 5000/–रूपये परिवादी की पेन्ट की दाहिनी जैब मे श्री महेश कुमार कानि. 17 से रखवाई गई। परिवादी बृजमोहन बैरवा को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने सिर पर साफी बांधने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। समय 7.30 ए.एम. पर परिवादी को स्वयं की मोटर साईकिल से मय जलसिंह कानि. 248 के रवाना कर श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय श्री जुनैद हैड कानि. 32, श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. 74, श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56, श्री राजकुमार कानि. 160 एवं स्वतंत्र गवाह श्री सांवरमल गुर्जर व श्री कालुलाल गुर्जर तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप के प्राईवेट वाहन से ग्राम डांगरथल के लिए रवाना हुआ। श्री महेश कुमार कानि. 17, को उचित हिदायत कर कार्यालय छोडा गया। समय 9 ए.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एवं हमराहियान के डागरथल गाव से पहले पहुंचे, जहा पर वाहन को एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को आरोपी श्री बजंरगलाल सरंपच की लोकेशन की जानकारी लेने हेतु कहा गया। समय 9.10 ए.एम. पर परिवादी बृजमोहन बैरवा ने श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि आपके कहेनुसार मैने संरपच साहब के बारे में अपने स्तर पर जानकारी की तो सरपंच साहब स्वय की लडकी की शादी के कार्य से वापस बाहर गॉव चले गये है। जिनका पता नही वापस कब तक आयेगे। अब मुझे लगता है कि सरपंच साहब अपनी लडकी की शादी के बाद ही मुझसे रूपये लेगे। परिवादी को समझाईश की गई की आरोपीगणो का जब भी कॉल आये या सम्पर्क करे तो श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाये। समय 9.30 ए.एम. पर श्री नरेन्द्र सिह पु.नि. ने गवाह श्री सावर मल से परिवादी की जैब मे रखी रिश्वती राशि को निकलवाकर एक सफेंद कागज मे लिपटवाकर गवाह के पास सुरक्षित रखवाया तथा मौके पर परिवादी को उचित हिदायत देकर रूकसत कर श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरिक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय गवाहान मय ट्रेप बाक्स, लेपटोप, वायस रिकार्डर के प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय टोक के लिये रवाना हुआ। समय 11 ए.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह पु.नि. मय हमराहियान जाप्ता के एसीबी चौकी पहुंचा, पूर्व मे गवाह श्री सांवर मल के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशी को कार्यालय ए.सी.बी. टोक की आलमारी मे सुरक्षित रखवाई गईं तथा समय 11.10 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को उचित हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया गया। **दिनांक 21.06.2023 समय 1 पी.एम.** पर परिवादी श्री बुजमोहन बैरवा उपस्थित कार्यालय ए.सी.बी. टोक आया और बताया कि दिनांक 18.05.2023 को मेरे गॉव डांगरथल से आपके आने के बाद रात्रि को मैं व मेरे मामाजी का लडका हनुमान बैरवा हम दोनो ने शराब पार्टी की थी। मैने नशे में सारी बात अपने भाई को बता दी थी। श्री बजरंग लाल जी बैरवा सरंपच साहब मेरे मामाजी एक ही गौत्र के है। मेरे मामाजी के लडके ने मुझे कहॉ कि तु इन चक्करो में मत पड वह अपना रिश्तेदार है, उसकी लडकियो की शादी खराब हो जायेगी। मैंने दो तीन बार सरपंच साहब से राम–राम किया तो उन्होने कोई जवाब नही दिया। अभी तक भी मेरे पास हेमराज जी मीना कानिस्टेबल साहब का फोन नहीं आया। आज से करीब 2 दिन पहले सरपंच साहब के मिलने वाले कुछ लोगों ने बताया कि तुम सरपंच साहब को एसीबी में क्यों फंसा रहे हो। उन्होने तुम्हारा क्या बिगाडा है। मुझे लगता है कि मेरे मामाजी के लडके ने श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब को मेरे द्वारा ए.सी.बी. में की गई शिकायत के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब मेरे से रिश्वत भी नहीं लेगें तथा मैने श्री हेमराज जी कानिस्टेबल साहब को भी फोन किया था

लेकिन वह मेरा फोन नही उठा रहे है। मुझे लगता है कि श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब ने श्री हेमराज जी कानिस्टेबल साहब को भी बता दिया है। अब श्री बजरंग लाल जी सरंपच साहब व श्री हेमराज जी मीना कानिस्टेबल पुलिस थाना निवाई मुझसे रिश्वत नही लेगे। अब मैं कोई कार्यवाही नही करवाना चाहता हुँ। परिवादी के कथनानुसार आरोपीगण श्री बजरंग लाल बैरवा सरपंच व श्री हेमराज मीना कानिस्टेबल को परिवादी की लापरवाही से परिवादी द्वारा आरोपीगणो के विरूद्व करवाई जा रही एसीबी कार्यवाही की भनक लगने के कारण आरोपीगण अब परिवादी से रिश्वत नहीं लेगें एवं परिवादी भी अब कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहता है। समय 1.30 पी0एम0 पर जरिये दूरभाष पांबदशुदा गवाह श्री सावरमल गुर्जर एवं श्री कालुलाल गुर्जर उप0 कार्यालय आये। समय 1.45 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई, जिसकी फर्द नाशानी सील गुर्तिब की गई। समय 2.30 पी0एम0 पर परिवादी बृजमोहन बैरवा द्वारा पेश की गयी रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 5000 रूपये के नोटों को परिवादी को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गयी तथा समय 2.45 पी.एम. परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को बाद उचित हिदायत रूख्सत किया गया। समय 3 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की सीडीयां तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री हेमराज मीना कानिस्टेबल पुलिस थाना निवाई जिला टोक द्वारा श्री बजरंग लाल बैरवा सरपंच ग्राम पंचायत डॉगरथल के साथ षडयंत्र रचकर परिवादी के विरूद्व दर्ज रिपोर्ट में कार्यवाही नही करने की एवज में परिवादी श्री बृजमोहन बैरवा से पूर्व में 7000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा 2000 रूपये पूर्व में परिवादी से प्राप्त करना मॉग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट है तथा आरोपी हेमराज मीना द्वारा सावधानी बरतते हुये शेष 5000 रूपये रिश्वत के अपने दलाल श्री बजरंगलाल बैरवा सरंपच ग्राम पंचायत डांगरथल को देने हेतु परिवादी को दौराने मॉग सत्यापन वार्ता में कहा गया था। परन्तु परिवादी की लापरवाही के कारण आरोपीगणो को एसीबी कार्यवाही की शंका हो जाने से आरोपीगणो व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि का आदान–प्रदान नहीं हो सका। दिनांक 17.05.2023 को परिवादी व आरोपी के मध्य रूबरू हुयी मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी हेमराज मीना कानिस्टेबल पुलिस थाना निवाई द्वारा अपनी रिश्वत मॉग के अनुसरण में 2000 रूपये पूर्व में परिवादी से रिश्वति राशि प्राप्त करना तथा शेष 5000 रूपये रिश्वति राशि सावधनी बरतते हुये ग्रहण करने के उदेश्य से अपने दलाल श्री बजरंग लाल बैरवा सरंपच ग्राम पंचायत डांगरथल को देने हेतु परिवादी को कहॉ गया था।

अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण 1. श्री हेमराज मीना पुत्र श्री तुलसाराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम व पोस्ट सारसोप तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल कानिस्टेबल नम्बर 254 पुलिस थाना निवाई जिला टोक व 2. श्री बजरंग लाल बैरवा पुत्र श्री गोपाल बैरवा जाति बैरवा निवासी रेगरान का मौहल्ला वार्ड न. 10 ग्राम व पोस्ट डांगरथल तहसील निवाई जिला टोक हाल सरपंच ग्राम पंचायत डांगरथल पंचायत समिति निवाई जिला टोक के विरूद्व उक्त कृत्य से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आई.पी.सी. का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होना पाया गया है।

अतः आरोपीगण 1. श्री हेमराज मीना पुत्र श्री तुलसाराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम व पोस्ट सारसोप तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल कानिस्टेबल नम्बर 254 पुलिस थाना निवाई जिला टोक व 2. श्री बजरंग लाल बैरवा पुत्र श्री गोपाल बैरवा जाति बैरवा निवासी रेगरान का मौहल्ला वार्ड न. 10 ग्राम व पोस्ट डांगरथल तहसील निवाई जिला टोक हाल सरपंच ग्राम पंचायत डांगरथल पंचायत समिति निवाई जिला टोक के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आई.पी.सी. में अपराध पंजीबद्व करवाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

भवदीय

(राजेश आर्य)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री राजेश आर्य, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री हेमराज मीना पुत्र श्री तुलसाराम मीना, पदस्थापन कानि0 न0 254, पुलिस थाना निवाई, जिला टोंक एवं 2. श्री बजरंग लाल बैरवा पुत्र श्री गोपाल बैरवा हाल सरपंच, ग्राम पंचायत डांगरथल, पंचायत समिति निवाई, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 231/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

24.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2660-64 दिनांक 24.08.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

24.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।